प्रेस नोट
दिनांक 04.12.2024

आपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल द्वारा पीड़ितों की फ्रॉड गयी 1,70,000/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितों के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **1,70,000/–** (एक लाख सत्तर हजार रू0) पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक शरद कुमार नि0 सिविल लाइन एवं आवेदक सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा नि0 राजा मोहल्ला थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा फ्राड कॉल पर विश्वास करके इन्वेस्टिंग के लालच में आकर रूपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। साइबर फ्रॉड ठगी के उपरान्त आवेदकों द्वारा इसकी शिकायत जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के समक्ष की गयी थी। जिस पर साइबर सेल व थाना को0 नगर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 1,70,000/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व साइबर सेल टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 04.12.2024</u>

<u>पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह की भावभीनी विदाई–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 04.12.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना के पद पर स्थानान्तरण के अवसर पर **<u>मेल्टिंग मोमेंट्स रेस्टोरेंट</u>** में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें देवीपाटन मण्डल के तमाम उच्चाधिकारीगणों द्वारा श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह को स्मृति चिन्ह, पुष्प गुच्छ व मोमेण्टों भेंट कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उनके जनपद में पदस्थापना के दौरान किये गए नवाचारों की प्रशंसा की साथ ही बताया गया कि श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह की पहचान एक सफल पुलिस अधिकारी के अलावा अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी, संवेदनशील एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में है। इनकी कार्यशैली व टीम वर्क की भावना से ही गोण्डा पुलिस की कार्यप्रणाली में सुदृढता आई है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह कि विगत वर्ष में हुए लगभग सभी गंभीर अपराधों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में गोण्डा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 04.12.2024

ऑपरेशन ″साइबर कवच′′ के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल व को0 नगर हेल्प डेस्ट टीम द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये–नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन ″साइबर कवच′′ अभियान की शुरूआत की गई है।

आज दिनांक 04.12.2024 को जनपदीय साइबर सेल व को0 नगर की हेल्प डेस्क टीम द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज गोण्डा_में छात्र–छात्राओं साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जनपदीय साइबर सेल के साइबर एक्सपर्ट हरिओम टण्डन द्वारा बच्चों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। जनपदीय साइबर सेल टीम छात्र/छात्राओं को NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 04.12.2024</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत पुलिस लाइन सभागार कक्ष में व्यापार मण्डल के सदस्यों को साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया गया व्यापक जागरूक–</u>

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये–नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच'' अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 04.12.2024 को अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ गोष्ठी कर साबइर अपराध से बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जानकारी दी गयी। महोदय द्वारा बताया गया कि एटीएम में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी–छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं

सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। अन्त में महोदय द्वारा NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया। जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो तत्पश्चात महोदय द्वारा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गयी तो कुछ पदाधिकारीगणों द्वारा शहर क्षेत्र के अंदर कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति से निपटने हेतु ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ करने का सुक्षाव दिया। सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों से अपनी–अपनी दुकानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगवाने हेतु बताया गया। महोदय द्वारा गोष्ठी के दौरान पदाधिकारियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं को उचित निदान करने का आश्वासन दिया गया।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>